उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

राज्य बनाम अधीन सिंह।

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या –05/2016–17

(रांची–पटना उच्च पथ चौड़ीकरण हेतु NHAI द्वारा अधियाचित भूमि से संबंधित)

06.6.17

आदेश

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक 378/रा0 दिनांक 03–03–2017 से अंचल–कोडरमा के अन्तर्गत, राँची–पटना पथ चौड़ीकरण से संबंधित संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख (संख्या–05/2016–17) अनुशंसा के साथ अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–गुमो, थाना नं0–12 के खाता संख्या–220/758, कुल रकवा–0.57ए0 की जमाबन्दी पंजी–II के पृ0सं0–131/2 पर श्री अधीन सिंह पिता–जयराम सिंह के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। प्रथम लगान रसीद 25–11–1962 एवं अंतिम लगान रसीद–14–06–1997 को निर्गत है। उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक–2620/गो0 दिनांक 30.09.2011 के आलोक में संदेहात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। समुचित साक्ष्य के अभाव में पंजी–II में कायम जमाबन्दी संदेहात्मक प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया है। इन्होंने प्रश्नगत भूमि मौजा–गुमो, थाना नं0–12 के खाता संख्या–220/758, कुल रकवा–0.57 ए0 बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4(h) के तहत जमाबन्दी रद्द करने का अनुशंसा किया है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा, अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा–गुमो, थाना नं0–12 के खाता संख्या–220/758, कुल रकवा– 0.57 ए0 की जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा बताया गया कि विपक्षी को बार–बार मौका देने के बावजूद अपना पक्ष नहीं रखा है, जो वाद में उनकी अभिरूचि की कमी को दर्शाता है एवं अनुपस्थित चले आ रहे है। अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बताया है।

विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी को बार–बार मौका देने के बावजूद अपना पक्ष नहीं रखा है, जो वाद में उनकी अभिरूचि की कमी को दर्शाता है। विपक्षी वाद की निर्धारित छः तिथियों तक लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है।

सरकारी अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदनों एवं कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता संख्या–220/758, कुल रकवा– 0.57 ए0 की कायम जमाबन्दी अवैध है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के आलोक में मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता संख्या–220/758, कुल रकवा–0.57ए0 पर श्री अधीन सिंह पिता–जयराम सिंह, के नाम से कायम जमाबन्दी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेजे।

Details of Land:- मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता संख्या–220/758, कुल रकवा–0.57ए0 ।

लेखापित एवं संशोधित

6/6

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

6.6

उपायुक्त
कोडरमा।